भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 172

(दिनांक 02.02.2022 को उत्तर के लिए)

सीबीआई में ढांचागत सुधार

172. श्री नामा नागेश्वर राव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का सीबीआई में ढांचागत सुधारों को आगे बढ़ाने का विचार है, ताकि इस एजेंसी को निर्वाचन आयोग/सीएजी की तरह एक स्वतंत्र निकाय बनाया जा सके, जैसा कि मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा विगत वर्ष, एक निर्णय में निर्देशित किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का विचार है और इस चुनौती के आधार के कारण क्या हैं;

(ग) सीबीआई को संदर्भित किए गए उन मामलों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें एजेंसी ने मामलों के अत्यधिक बोझ और संसाधनों की कमी के कारण जांच करने से इनकार कर दिया; और

(घ) सरकार द्वारा सीबीआई के कामकाज को सुव्यवस्थित करने और इसे सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख): भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की गई है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास, मदुरै खण्डपीठ द्वारा 2020 की रिट याचिका (एमडी) संख्या 17716 और 2020 की रिट विविध याचिका (एमडी) संख्या 14803 में दिनांक 17.08.2021 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है।

(ग): पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों में से 6 ऐसे मामलों में अनुरोधों पर ऐसे आधार पर जांच करने से मना कर दिया गया था जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा कार्यभार, संसाधनों की कमी अथवा मामले में कोई अंतरराष्ट्रीय या अंतर-राज्यीय प्रभाव न होने अथवा सीबीआई आदि द्वारा जांच के लिए आवश्यक जटिलता का स्तर न होने जैसी बाधाएं शामिल थीं।

(घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 के अंतर्गत अपनी शक्तियां प्राप्त करते हुए एक सुस्थापित कानूनी और प्रक्रियात्मक ढांचे के भीतर कार्य करता है। केन्द्र सरकार सीबीआई द्वारा जांच किए गए मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है और निदेशक, सीबीआई को सभी आवश्यक प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। सरकार ने सीबीआई को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न अन्य उपाय भी किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं -

1. रिक्तियों को शीघ्रता से भरने की दिशा में कदम उठाना
2. निम्नलिखित स्कीमों के कार्यान्वयन द्वारा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अवसंरचना का उन्नयन, अर्थात् -

(i) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में आईसीटी अवसंरचना के क्षमता विकास और उन्नयन का सुदृढ़ीकरण

(ii) तकनीकी और फोरेंसिक सहायता एककों (टीएएफएसयू) के अंतर्गत सेंट्रेलाइज्ड टैक्निकल वर्टिकल (सीटीवी)-सीबीआई

(i) सीबीआई अकादमी, गाजियाबाद में सीबीआई प्रशिक्षण केन्द्र का आधुनिकीकरण

(iv) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की शाखाओं/कार्यालयों का व्यापक आधुनिकीकरण और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए भूमि की खरीद/कार्यालय/आवासीय भवनों का निर्माण।

****